

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2014/17	<p>आज यह शर्चना पत्र धारा 136 के तहत प्राची लाल सिंह पुत्र रामधन सिंह निवासी झालरा नै पेश किया। प्राची को जुनागण। प्राची ने बताया है कि खाता सं 215 राजस्व ग्राम झालरा में लखीजदार है जिसमें मेरा नाम लखन लखण गलत दर्ज होकर चला आ रहा है जबकि मेरा वास्तविक नाम लाल सिंह है। आधार कार्ड पेश किया एवं मेरी माताजी श्रीमति हरबहि पत्नी रामधन का के ज्ञान दर्ज कराये है न्याय हाथे डार अभियान में खाता सं 289, 377 378 380 381 में मैंने मेरा नाम लखण सिंह पुत्र रामधन सिंह के ज्ञान पर लाल सिंह पुत्र रामधन सिंह इफ्त करवा लिया था परन्तु लखन के खाता सं 215 में रह जाया। अतः फर्ज किया जावे।</p> <p>प्राची को जुनै व पञ्जाबी व पञ्जाबी में उपलब्ध रेकार्ड आधार कार्ड ज्ञान हरबहि देवी व इत में डर डरणी शर्चना पत्र के यह स्पष्ट है कि प्राची का का नाम लखण सिंह पुत्र रामधन सिंह के बजाय सही नाम लाल सिंह पुत्र रामधन सिंह होना सिद्ध पाया जाता है। अतः प्राची का शर्चना पत्र हकीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राची का शर्चना पत्र धारा 136 के तहत पाये जाने पर हकीकार किया जाता है तथा लखीजदार नीमकाथाना को</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व अहकाम जो की तामील मे
---------------	-----------------------------------	-----------------------------------

को आदेश दिया जाता है कि राजस्व
 ग्रुप झालरा के खाला सं 215 मे दर्ज
 खातेदार लक्ष्मण सिंह पुत्र रामधन सिंह
 के ध्यान पर लाल सिंह पुत्र रामधन सिंह
 दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में डकूनी करें।
 तदनुसार राजस्व रिकार्ड में डकूनी हेतु
 तहसीलदार नीमकाधाना को वहीर जारी
 की जावे। एकावली धुल्ल भुमार टीकर
 नम्बर से कम टीकर वारिकल एक्टर हों।

(जागदीश प्रसाद जोड,
 उपखण्ड अधिकारी
 नीम का थाना (सीकर))